भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5543** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र का पुनरुद्धार

†5543. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30 लाख रोजगार सृजन और 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्यीकरण करते हुए देश के पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए चतुर-स्तंभी रणनीति के अंतर्गत 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो देश की भू-राजनैतिक अनुकूलता तथा रणनीतिक आत्म-निर्भरता और वैश्विक पोत-परिवहन और पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत को एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना तथा की गई/ प्रस्तावित कार्रवाई का और तत्संबंधी रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र में भारी निवेश को अनलॉक करने की क्षमता वाली 4-स्तंभ कार्यनीति के माध्यम से घरेलू पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रु. के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। पोत निर्माण पैकेज के मुख्य घटक में शामिल हैं:

i. पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस), पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) का संवर्धित रूप है, जिसे वैश्विक शिपयार्डों की तुलना में भारतीय शिपयार्डों के लागत नुकसान को दूर करने के लिए 24,736 करोड़ रु.के परिव्यय के साथ तैयार किया गया है;

ii. समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), जिसमें पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रु. का परिव्यय है, जिसमें 20,000 रु. करोड़ की समुद्री निवेश राशि और 5,000 करोड़ रु. का ब्याज प्रोत्साहन राशि शामिल है;

iii. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस), इसमें ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टर स्थापित करके और मौजूदा शिपयार्डों की क्षमता का विस्तार करके भारतीय पोत निर्माण उत्पादन क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टनभार तक बढ़ाने के लिए 19,989 करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। ये लक्ष्य मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के दस्तावेजों में निहित विज़न के अनुरूप भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक पोत निर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

iv. नीतिगत सुधार, इसमें व्यापक विधायी सुधार, कानूनी सुधार, प्रक्रिया सुधार शामिल हैं ताकि व्यापार करने में सुगमता, निवेशक के विश्वास, नियामक निश्चितता आदि में सुधार हो सके।

एसबीएफएएस और एसबीडीएस को प्रचालित करने के लिए दिनांक 26.12.2025 को योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 20.02.2026 को एमडीएफ के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पोत निर्माण उद्योग में 6.4 के उच्च रोजगार गुणक को देखते हुए, इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 2.2 मिलियन नौकरियों की रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है जिसमें प्रत्यक्ष के साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार भी शामिल है।
